

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
ANUSANDHAN BHAVAN, RAFI MARG, NEW DELHI-110001.

No.8-3(11)/2017-Gen/Med.

Date:11.06.2020

OFFICE MEMORANDUM

Sub: - Cashless Medical facility to the employees and pensioners of CSIR Hqrs. and its Delhi-NCR situated Establishments / Laboratories / Institutes - regarding signing of MOAs with CGHS empanelled hospitals

It is brought to the notice of all concerned that CSIR Hqrs has signed MoAs with the CGHS empanelled hospital as per the detail given below for extending facility of indoor cashless treatment to the serving employees and pensioners of its all Delhi based establishments from the effective date of MoA:-


S. No.	Name of Hospital	Date of MOUs
1.	Human Care Medical Trust, Dwarka, Delhi-110075	04.03.2020

The serving staff and pensioners of Delhi based laboratories/institutes of CSIR and their dependent family members may also now take indoor treatment on credit basis at above mentioned hospital/institutes.

Except in the case of emergency, permission letter for extending credit facility have to be issued by the laboratories/institutes to the concerned hospital/institute in each case. In the case of emergency (duly certified by the treating doctor), no such credit letter would be required.

The hospitals/institutes concerned will submit their bills/reimbursement claims alongwith claim forms (either signed by the employee/pensioner/family pensioner or their thumb impression) directly to the concerned laboratory/institute of CSIR.

The Delhi based laboratories/ institutes of CSIR will ensure that bills/reimbursement claims of above hospitals/institutes are cleared within the time as stipulated under Memorandum of Agreements (MoAs) signed by CSIR Headquarters.


(S. K. Yadav) 11/6/20
Section Officer

Copy to:-

1. Above mentioned CGHS empanelled hospitals; for information alongwith list of Delhi based laboratories of CSIR with the request to directly submit reimbursement claims/bills in respect of the staff/pensioner of Delhi based laboratories/institutes of CSIR.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

सं. 8-3(11)/2017-सा./मेड.

दिनांक : 11.06.2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सीएसआईआर मुख्यालय एवं इसकी दिल्ली स्थित स्थापनाओं / प्रयोगशालाओं / संस्थानों के कार्मिकों एवं पेंशनरों हेतु कैशलैस चिकित्सा सुविधा सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पतालों से करार (एमओए) करने के संबंध में

सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाता है कि सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा दिल्ली स्थित अपनी सभी स्थापनाओं के सेवारत कार्मिकों एवं पेंशनरों को इंडोर कैशलैस उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पताल के साथ करार (एमओए) किया है जो कि करार करने की तिथि से प्रभावी है:-


क्रम संख्या	अस्पताल	समझौता ज्ञापन की तिथि
1.	ह्यूमन केयर मेडिकल चेरिटेबल ट्रस्ट, द्वारका दिल्ली-110075	04.03.2020

सीएसआईआर की दिल्ली स्थित प्रयोगशालाओं/संस्थानों के सेवारत कार्मिक एवं पेंशनर तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्य भी अब उक्त अस्पतालों/संस्थानों में क्रेडिट आधार पर इंडोर उपचार ले सकेंगे।

सिवाय आपातकालीन स्थिति के, क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए अनुमति पत्र प्रत्येक मामले में प्रयोगशालाओं / संस्थानों द्वारा संबंधित अस्पताल / संस्थान को जारी करने होंगे। आपातकालीन मामलों में (इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा विधिवत प्रमाणित) ऐसे किसी भी क्रेडिट पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

संबंधित अस्पताल/संस्थान अपने बिल/प्रतिपूरक दावे क्लेम फार्म के साथ जोकि पेंशनर, फैमिली पेंशनर अथवा कर्मचारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित या उनके अंगुठे की छाप के साथ सीधे सीएसआईआर की संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान को प्रस्तुत करेंगे।

सीएसआईआर की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला/संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अस्पतालों/संस्थानों के बिल/प्रतिपूरक दावों का निपटान सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओए) में निर्धारित समयानुसार किया जाए।


(एस. के. यादव) 11/6/20
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. उक्त उल्लिखित सीजीएचएस एम्पैनलड अस्पताल; सीएसआईआर की दिल्ली स्थित प्रयोगशालाओं की सूची के साथ-साथ सीएसआईआर की दिल्ली स्थित प्रयोगशालाओं/संस्थानों के कार्मिक एवं पेंशनर संबंधी प्रतिपूरक दावों/बिलों को सीधे प्रस्तुत करने के अनुरोध सहित।